

कुटुम्ब घोषणा प्ररूप में परिवर्तन कर्मचारी राज्य बीमा निगम (विनियम 15 ख)

बीमाकृत व्यक्ति का नामबीमा संख्या	
-----------------------------------	--

मैं इसके द्वारा यह घोषणा करता हूं कि वह⁄वे व्यक्ति जिसके∕जिनके विवरण नीचे दिए गए हैं अब मेरे कुटुम्ब का∕के सदस्य∕हो गया है∕गए हैं⁄ अब मेरे कुटुम्ब का∕के सदस्य नहीं है∕हैं।*

क्र. सं.	नाम	जन्म की तारीख	परिवर्तन का कारण व	बीमाकृत व्यक्ति के	क्या उसके साथ निवास कर रहा है/		यदि नहीं, तो कहां निवास कर रहा है।		सम्बद्ध बीमा चिकित्सा व्यवसायी/
			तारीख	साथ नातेदारी	रही हैं या नहीं।				औषधालय का नाम
-					हां	नहीं	जिला	राज्य	

मैं इसके द्वारा यह घोषणा करता/करती हूं कि ऊपर दिए गए विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं। पहले प्रस्तुत किए मेरे कुटुम्ब घोषणा प्ररूप में कृप्या इसी के अनुसार परिवर्तन कर लिया जाए।

कुटुम्ब में जोड़े जा रहे सदस्यों की पासपोर्ट उ	गकार की फोटो संलग्न है∕हैं।
स्थान :	बीमाकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
तारीख :	2.2
नियोजक के विवरणः-	नाम साफ अक्षरो में
नाम	
पता	नियोजक-प्रतिहस्ताक्षर
कूट संख्या	
. "	पटनाम खंद की मोदर सदित

टिप्पणी: "कुटुम्ब" से किसी बीमाकृत व्यक्ति के निम्निलखित सभी अथवा कोई नातेदार अभिप्रेत हैं:-अर्थात्:- (1) पित या पत्नी (2) बीमाकृत व्यक्ति पर आश्रित कोई धर्मज या दत्तक अवयस्क आश्रित बालक, (3) कोई बालक जो बीमाकृत व्यक्ति के उपार्जनों पर पूर्णतः आश्रित है तथा जो (क) शिक्षा प्राप्त कर रहा है, उनके 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक (ख) कोई अविवाहित पुत्री, (4) कोई बालक जो किसी शारीरिक अथवा मानसिक अपसामान्यता या चोट के कारण शिथिलांग है तथा शिथिलांगता रहने तक बीमाकृत व्यक्ति के उपार्जनों पर पूर्णतः आश्रित है, (5) आश्रित माता-पिता, (ब्योरे हेतु क.रा.बी. अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खंड 11 को देखें)।

^{*} कृपया जन्म/मृत्यु प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करें।



ADDITION/DELETION IN FAMILY DECLARATION FORM

EMPLOYEE'S STATE INSURANCE CORPORATION

(Regulation 15B)

Name of the Insured Person				Insurance No.					
to be	I declare that the member(s) of my		rsons whos	e particulars	are give	n below h	nas/have	e now be	come/ceased
Si. No.	Name	Date of Birth	Reason(s) for change & date	Realation- ship with the insured Person	with him/her or		If no, where residing		Name of IMP/Disp. attached.
					Yes	No.	Distt.	State	
Н		+							
Н		+							+
I hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and bel								e and belief.	
	Necessary changes may kindly be made in my Declaration Form submitted earlier.								
	Passport size ph	notographs	of the mem	bers who ar	e added	to family	is/are e	nclosed.	
Place	ə								
Date				•	Signatur	e/thumb	impres	sion of	the employee
				Name in Block letters					
Part	ticulars of the E	mployer:-		7					
Name :					Cou	ntorcia	natuo of	the employer	
Addı	res :					Cou	intersigi	natue oi	the employer
Code	e No								
				_					ıbber Stamp

Note: "Family" means all or any of the following relatives of an Insured Person namely:(i) a spouse (ii) a minor legitimate or adopted child dependant upon the I.P.; (iii) a child who is wholly dependant on the earnings of the I.P. and who is (a) receiving education, till he or she attains the age of 21 years (b) an unmarried daughter; (iv) a child who is infirm by reason of any physical or mental abnormality or injury and is wholly dependant on the earnings of the I.P. so long as the infirmity continues; (v) dependant parents (Please see Section 2 clause 11 of the ESI Act 1948 for details)

*Please submit duly attested copy of the Birth/Death Certificate.